न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर

पीठासीन अधिकारी **पूजा पार्थ**
आई.ए.एस.

सायल	बनाम	गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये अंकेश शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल		श्री रेवतसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी भीनमाल

प्रकरण संख्या **16/2022**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

पक्षकारान :–
1.प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल
2.गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

–::निर्णय::–

दिनांक 28.05.2024

1. सायल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल से जब्त शुदा 1 घरेलू सिलेण्डर मय गैस को ई.सी. एक्ट के तहत राजसात (Confiscate) करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी किया गया, गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई।

3. प्रवर्तन अधिकारी, भीनमाल ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दिनांक 14.10.2022 को दोपहर 2 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर दासपा बस स्टैंड भीनमाल पर गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए ठक्कर रेस्टोरेन्ट भीनमाल पहुँचा। मौके पर श्री रेवत सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत द्वारा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर, जब्त सिलेण्डर कम्पनी का नाम–इण्डेन, सिलेण्डर नम्बर–63005–J, सिलेण्डर का कुल वजन 20.9 किग्रा, खाली सिलेण्डर का वनज–15.9 किग्रा, गैस का शुद्ध वजन 5 किग्रा का व्यावसायिक उपयोग करने पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर कब्जे में लिया जाकर श्री किशोर सांखला पुत्र श्री प्रभूराम जी जाति माली, लीलाधारी गैस ऐजेन्सी, भीनमाल को सुपुर्दगी में दिया गया। फर्म/दुकान मालिक/कार्यकर्ता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डरों की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नही करके भिन्न कार्यों (वाणिज्य उपयोग)हेतु अवैध रूप से उपयोग किया है। अतः मौके फर्म मालिक व कार्यकर्ता द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख) एवं (ग) एवं 7 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः वर्णित उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने की कृपा करे।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है। श्रीमान इसका निस्तारण करने के आदेश फरमाने का कष्ट करे।

4. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासे में वर्णित तथ्यो के अनुसार गैर सायल के पास से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अवैध रूप से संग्रहण कर व्यवसायिक उपयोग के कारण जब्त किया गया हैं। गैर सायल के पास कोई वैद्य लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000" के खण्ड 3 (1) (ख) व (ग) का स्पष्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया हैं। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः सायल का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा जब्त किया गया 1 सिलेण्डर मय गैस को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जब्त शुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त किए गए 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करे।

जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
जालोर